

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग-03 (मत्स्य)
संख्या-420/XV-3/2019-11(05)/2011
दिनांक: देहरादून: 09 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) के क्रम में मत्स्य विभागान्तर्गत वर्ष 2019-20 में सम्पादित की जा रही अनिवार्य वार्षिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया के तहत मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड में तैनात श्री एच०के० पुरोहित, उप निदेशक मत्स्य (प्रभारी संयुक्त निदेशक, मत्स्य), मत्स्य निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा 56 वर्ष की आयु पूर्ण करने के दृष्टिगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7 (घ) (एक) के अधीन सुगम से दुर्गम में अनिवार्य वार्षिक स्थानान्तरण की छूट प्रदान करते हुए श्री एच०के० पुरोहित, उप निदेशक मत्स्य (प्रभारी संयुक्त निदेशक, मत्स्य) को यथावत पदस्थापित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या- 420 (1)/XV-3/2019/11(05)2011, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, स्वतन्त्र प्रभार मत्स्य पालन, उत्तराखण्ड को मा० राज्य मंत्री महोदया के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव, मत्स्य, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अधिकारी।
5. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(वी०एस० पुण्डीर)
उप सचिव।